COURT FEE 20रु. Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
COURT FEE 20रु. Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
CANCELLED

(1)

(121)

समक्ष न्यायायल श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, म0प्र0

निगरानी-3799/2018/डिंडोरी/भू.रा.

पुनरीक्षण याचिका कमांक /2018

(596)

पुनरीक्षणकर्ता : बबलू उर्फ इन्द्रपाल सिंह आ0 सुदेश पाल, सोनपाली, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी–वार्ड नं.4, डिण्डौरी तहसील एवं जिला डिण्डौरी (म.प्र.)

विरूद्ध

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
28 MAY 2018

उत्तरार्थीगण

1. सुदेशपाल सोनपाली, पिता स्व. बालमुकुन्द सोनपाली, आयु 75 वर्ष, निवासी– ग्राम बटौधा, तहसील व जिला डिण्डौरी (म.प्र.)
2. अनंतराम सोनपाली, पिता स्व. बालमुकुन्द सोनपाली, आयु 69 वर्ष, निवासी– अवधपुरी कॉलोनी, ग्वारीघाट, जबलपुर (म.प्र.)
3. नंदलाल सोनपाली, पिता स्व. बालमुकुन्द सोनपाली, आयु 66 वर्ष, निवासी– वार्ड नं. 05, डिण्डौरी, तहसील व जिला डिण्डौरी (म.प्र.)
4. नितिन सोनपाली, पिता स्व. कमलेश सोनपाली, आयु 29 वर्ष, निवासी–हाथीताल, जबलपुर तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)
5. श्रीमती प्रभा सिंह पुत्री स्व. श्री बालमुकुंद सोनपाली पति स्व. श्री दिगम्बर सिंह आयु 70 वर्ष, निवासी– साकेत नगर, भोपाल जिला भोपाल (म.प्र.)
6. श्रीमती चंचल वर्मा, पुत्री स्व. श्री बालमुकुन्द सोनपाली, पति श्री त्रिलोकीनाथ वर्मा, आयु 64 वर्ष, निवासी–फ्लैट नं.सी –302, संतुष्टि अपार्टमेंट विवेकानंद मार्ग, लखनउ (म.प्र.)
7. श्रीमती सुनीता वर्मा, पुत्री स्व. श्री बालमुकुंद पति श्री रामकुमार वर्मा, आयु 52 वर्ष, निवासी– 69, गगन बिहार, नई दिल्ली

KHARE
27 MAY 2018

(2)

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय से सविनय निवेदन करता है कि :–

यह कि, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका विद्वान तहसीलदार महोदय डिण्डौरी जिला डिण्डौरी द्वारा प्रकरण क्र.004(आर–6)/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 03.05.2018 के विरूद्ध निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है:–

अपील के तथ्य

1. यह कि, उत्तरार्थीगणों द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत श्रीमान तहसीलदार महोदय डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के समक्ष संपत्ति खसरा नं.57 रकवा 0.462 हैक्ट. भूमि पर नामांतरण करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

2. यह कि, उपरोक्त प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा एक आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा यह निवेदन किया गया कि उपरोक्त संपत्ति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रथम अपील क्र.446/2006 विचाराधीन है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त भूमि के संबंध में दिनांक 25.8.2006 को यथास्थिति का आदेश एवं दिनांक 7.5.2007 को उपरोक्त संपत्ति के विक्रय पर रोक लगाने का आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त आपत्ति के साथ पुनरीक्षणकर्ता/आपत्तिकर्ता द्वारा उपरोक्त आदेशों की प्रति भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की।

3. यह कि, यहॉ पर यह उल्लेखनीय है कि आपत्तिकर्त्ता द्वारा उपरोक्त आपत्ति के पश्चात् एक आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्य.प्र.संहिता भी प्रस्तुत किया गया था। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त आवेदन को प्रस्तुति के समय ही यह कहकर अमान्य कर दिया कि आपत्तिकर्त्ता (पुनरीक्षणकर्त्ता) द्वारा पूर्व में ही आपत्ति पेश कर दी गई। आपत्तिकर्त्ता द्वारा प्रकरण को लंबित करने की दृष्टि से बार–बार आपत्ति प्रस्तुत की जा रही है तथा उपरोक्त अवलोकन करते हुये आपत्तिकर्त्ता/पुनरीक्षणकर्ता की आपत्ति अमान्य कर दी तथा उसके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 के व्य.प्र.सं. की मूल प्रति ही आपत्तिकर्त्ता/पुनरीक्षणकर्त्ता को लौटा दी। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र अमान्य किया जाना एवं न्यायालय की प्रति ही पुनरीक्षणकर्ता को लौटा देना विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्वान अधीनस्थ

21 MAY 2018

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी–3799/2018/डिंडोरी/भू0रा0

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/8/18	यह निगरानी तहसीलदार डिंडोरी व्दारा प्रकरण कमांक 4 अ–6/2016–17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 3–5–2018 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक को सुना गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि महिला लीलावती पत्नि स्व. बालमुकुन्द के स्वर्गवास होने के कारण उनके व्दारा की ग्राम डिंडोरी की भूमि खसरा नंबर 57 पर नामान्तरण का प्रकरण तहसील न्यायालय में उभय पक्ष के बीच प्रचलित है, जिसमें आवेदक ने नामान्तरण न किये जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है कि माननीय उच्च न्यायालय से वाद विचारित भूमि के संबंध में दिनांक 25–8–2006 से यथास्थिति बनाये रखने के आदेश होने के कारण नामान्तरण कार्यवाही रोक दी जावे। तहसीलदार ने दोनों पक्षों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 3–5–18 से निर्णीत किया है कि :– " माननीय उच्च न्यायालय व्दारा ग्राम डिडोरी स्थित भूमि ख.नं. 57 रकबा 0.462 है. पर नामान्तरण पर कोई स्थगन जारी नहीं किया है। भूमि ख.नं. 57 रकबा 0.462 है. की भूमिस्वामी लीलावती पत्नि बालमुकुन्द की मृत्यु हो गई है। ऐसी दशा में राजस्व रिकार्ड का शुद्विकरण का दायित्व राजस्व अधिकारियों का है। मृत भूमिस्वामी के स्थान पर उसके विधिक वारिसनों का नाम दर्ज करने की प्रकिया राजस्व रिकार्ड को शुद्व रखने की प्रकिया है। " यदि आवेदक वाद विचारित भूमि में स्वयं् का स्वत्व एंव स्वामित्व चाहता	

है वह तहसीलदार के समक्ष स्वयं का पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है । तहसीलदार डिंडोरी व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 3–5–18 में लिया गया निर्णय उचित प्रतीत होता है जिसमें किसी प्रकार की कमवेशी दृष्टिगत न होने से निगरानी सारहीन है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार डिंडोरी व्दारा प्रकरण कमांक 4 अ–6/2016–17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 3–5–2018 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य